



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेंगा)

जयपुर, दिनांक
11 1 APR 2017

क्र. एक 20(31)ग्रावि/नरेंगा/निविदा/2014/61288
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय: महात्मा गांधी नरेंगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर निर्माण सामग्री कय हेतु ग्राम वर्ष की अनुबंध की अंतिम बढ़ाये जाने बखत।
संदर्भ: इस विभाग का समस्तकृतक पत्र दिनांक 31.01.2017
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी नरेंगा योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सामग्री कय हेतु निविदा प्रक्रिया दिनांक 31.03.2017 तक सम्पन्न किये जाने के संबंध में आपकी निर्देश जारी किये गये थे, लेकिन अधिकांश जिलों द्वारा अभी तक निविदा प्रक्रिया सम्पन्न करने संबंधी सूचनाएं इस विभाग को प्रेषित नहीं की गई हैं। अतः वर्ष 2017-18 के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर निर्माण सामग्री कय हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया जाता है :-

1. विभाग द्वारा पूर्व में किये गये निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निविदा प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न की जावे, ताकि सामग्री कय में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।
2. जिन जिलों द्वारा अभी तक ग्राम पंचायतों के लिए निविदा प्रक्रिया को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है परन्तु पूर्व वर्ष की निविदा सर्तों में अनुबंध अर्थात् बढाने का प्रावधान होने पर उन ग्राम पंचायतों में सामग्री कय के लिए राजस्थान लोक उपायन नियम-73 (2)(बी) की नियमानुसार पालना करते हुए शून्य अनुबंध की 50 प्रतिशत सामग्री तक के आदेश, आगामी तीन माह तक के लिए किये जाने के निर्देश इस विभाग द्वारा जारी किये जाते हैं।
3. जिन ग्राम पंचायतों के लिए निविदा प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं तथा प्राप्त निविदा प्रस्तावों की दरे गत वर्ष की अनुबंध दरों से कम हो, उन निविदा प्रस्तावों को अविलम्ब अनुमोदित किया जाना सुनिश्चित करावे, अन्यथा अधिक भुगतान के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।
4. वर्ष 2017-18 के लिए निविदा प्रक्रिया सम्पन्न होने पर तदनुसार सामग्री कय किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
कृपया इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करावे।

शुभदीय,

(देवाशीष पंडित)
आयुक्त विभागाध्यक्ष
10.4.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेषज्ञ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अति, मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आरजन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. अति, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, समस्त।

✓ वित्तीय सलाहकार, ईजीएस